मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
सामान्य प्रशासन विभाग

फोटोग्राफी/शूटिंग के लिए अनुमति

I. सामान्य प्रशासन विभाग के पास निम्नलिखित हेतु निवेदन प्राप्त होते हैं -

i) जहाज पर स्थित कार्गो या सर्वेक्षकों तथा अन्य पोर्ट उपभोक्ताओं से कार्गो का लदान/उतराई का प्रमाण, रिकार्ड या परेषितियों के प्रचार हेतु शूटिंग/फोटोग्राफी;

ii) प्रचार हेतु गोदियों या बंदर्स स्थित किसी कार्गो/गतिविधि का स्टिल या मुव्ही शूटिंग;

iii) डॉक्यूमेंट्री/शैक्षणिक तथा लोकसेवा फिल्मों को बनाने हेतु गोदियों, बंदर्स या हार्बर में स्टिल फोटोग्राफ्स लेना या फिल्म की शूटिंग करना ;

iv) कमर्शियल फिल्म सीन का शूटिंग; तथा

v) विज्ञापन या टेलिविजन फिल्मों के लिए प्रसंगों की शूटिंग.

II. अध्यक्षजी के अनुमोदन से समय-समयपर प्रभारों को नियत किया गया है.
वर्तमान प्रभार निम्न प्रकार हैं:

क्र.सं	फोटोग्राफ्स/फिल्मों का स्वरुप	शुल्क प्रति दिन (रू)
1.	परेषितियों, सर्वेक्षकों तथा अन्य पत्तन उपभोक्ताओं के प्रमाण, रिकार्ड या प्रचार हेतु जहाज पर स्थित या लदान/ उतराई हो रहे कार्गो का शूटिंग या फोटोग्राफ्स लेना.	200
2.	प्रचार के उद्देश्यों से गोदियों या बंदर्स स्थित किसी कार्गो/गतिविधिका स्टिल या मुव्ही शूटींग.	1,000
3.	डॉक्यूमेंट्री/शैक्षणिक तथा लोक सेवा फिल्मों को बनाने हेतु गोदियों, बंदरर्स या हार्बर में स्टिल फोटोग्राफ्स लेना या शूटिंग करना.	1,000
4.	कर्मशियल फिल्मों/सीन्स की शूटिंग	20,000
5.	विज्ञापनों या टेलिव्हिजन फिल्मों के लिए प्रसंगों की शूटिंग	10,000

इसके अतिरिक्त, अनुमति की शर्ते एवं निबंधनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु फोटोग्राफी/फिल्म बनाने के लिए विशिष्ट अनुरोध को लागू जो भी एक दिन के प्रभार होंगे उसके तुल्य एक प्रतिदेय जमा की वसूली की जाती है.

III. सामान्य: सभी श्रेणियों के लिए आवेदन सामान्य प्रशासन विभाग में प्राप्त होते हैं. तथापि (i) के लिए अनुमति यातायात विभाग द्वारा भी जाती है. यह ध्यान में लाया गया है कि आइएसपीएस के कार्यान्वयन के परिणामस्वरुप सामान्यत: गोदियों के अंदर शूटिंग के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है. तथापि, अपवादात्मक मामलों में, शहर तथा पत्तन की प्रगति के विषय में डॉक्युमेंट्री की शूटिंग के लिए अनुरोध पर विचार किया जाता है. सभी मामले में अनुमति प्रदान की जाती है बशर्ते कि सीमाशुल्क कार्यालय तथा स्थानिक पुलिस से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाय. हार्बर में शूटिंग करने के लिए नौसेना से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" लेना एक पूर्व आवश्यकता है. जिस विभाग के अधिकार में वह क्षेत्र आता है उसका भी अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया जाता है.

IV. सभी संबंधितों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने के बाद शूटिंग/फोटोग्राफी के लिए अनुमति प्रदान की जाती है बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों तथा निबंधनों का पालन हो.

i) गोदियों के तथा आसपास के कामकाज पर असर न पडे.

ii) युनिट के सदस्य द्वारा किसी अघटित प्रसंग या दुर्घटना के कारण हुई किसी हानि या क्षति के बारें मे पोर्ट ट्रस्ट को कोई कानूनी देयताओं का सामना करना न पडे.

iii) किसी भी संवेदनशील इंस्टालेशनों या रणनीतिक स्थलों के शॉटस् नहीं लिये जायेंगे.

iv) संबंधित सहायक सुरक्षा अधिकारी, मुंपोट्र के पर्यवेक्षण में शूटिंग की जाएगी.

v) विशिष्ट अनुरोध को लागू फोटोग्राफी/शूटींग के लिए एक दिन के प्रभारों के तुल्य जमानत की राशी का भुगतान करना होगा.

vi) लिये गये शॉटस् की एक कॉपी रिकार्ड हेतु मुंपोट्र को सुपुर्द करनी होगी.

vi) एक बार वसूल किये गये प्रभारों को यदि निर्धारित तिथि पर शूटिंग नहीं किया गया तो उन्हें जब्त किया जायेगा.

viii) पार्टी को शूटिंग करने से पहले मुख्य सुरक्षा अधिकारी मुंपोट्र को सूचित करना होगा.

ix) **सीमाशुल्क कार्यालय/पुलिस** से पार्टी को अलग से अनुमति लेनी होगी.

x) यदि उपरोल्लिखित में से किसी शर्त का उल्लंघन हुआ तो जमानत राशी जब्त की जायेगी.